केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CICOM/A/P/21/00033
CICOM/R/P/20/00564

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
03 MAR 2021
D. No.
Initials

अपीलकर्ता : श्री अशोक कुमार गोयल
गणेशपुर-रहमानपुर, चिनहट
लखनऊ - 226028.
मो0 - 8009444448.

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	30.11.2020
केन्द्रीय सूचना आयोग में आर.टी.आई. आवेदन प्राप्त होने की तिथि	16.12.2020
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	05.01.2021
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री राम कुमार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	11.01.2021
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में अपील प्राप्त होने की तिथि	11.02.2021
निर्णय की तारीख	03.03.2021

मांगी गई सूचना

1. अपीलकर्ता द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन, मंत्रालय को प्रेषित दिनांक 30.11.2020 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 (1) के तहत दर्ज शिकायतों की जांच, उसके निस्तारण हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया, समायवधि एवं उक्त शिकायत पर सूचना आयुक्त को सुनवाई करने का अधिकार से संबंधित 9 बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी ।

प्रदान की गई सूचना

2. आयोग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री राम कुमार द्वारा पत्र सं. CICOM/R/P/20/00564 दिनांक 05.01.2021 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान की गई:-

बिंदु सं. 1 से 9	वांछित सूचना हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एवं सूचना अधिकार नियम 2012 जो कि आयोग की वेबसाईट के लिंक क्रमश: https://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf एवं https://cic.gov.in/sites/default/files/RTI/RTIRules2012.pdf सहित इंटरनेट में आसानी से उपलब्ध है, का अवलोकन करें । इसके अतिरिक्त अन्य कोई नियम उपलब्ध नहीं है ।

प्रथम अपील का आधार

3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को प्रेषित प्रथम अपील आवेदन जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 28 जनवरी, 2021 के पत्र के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग को अगसारित किया गया जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 11.02.2021 को प्राप्त हुआ, जिसमें में अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि "30 दिन की नियत समय अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है" ।

निर्णय

4. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय को प्रेषित अपीलकर्ता का दिनांक 30.11.2020 का आर.टी.आई. आवेदन, जिसे दिनांक 08 दिसम्बर, 2020 के पत्र के माध्यम से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग को अग्रसारित किया गया जो कि दिनांक 16.12.2020 को केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ तथा निर्धारित समयावधि के भीतर ही दिनांक 05.01.2021 के पत्र के माध्यम से श्री राम कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना प्रेषित कर दी गई । श्री राम कुमार द्वारा पेषित सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार ही है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी अपने आदेश सं. W.P. (C) 11271/2009 में उल्लेख किया है कि 'Once information has been provided in public domain and on the website, the information is no longer held by or under the control of any public authority and hence, is no longer accessible as 'right to information'. अतः केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तत्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रति अपीलकर्ता के सुलभ संदर्भ हेतु इस आदेश के साथ पुनः संलग्न है ।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

निर्णय की तारीख: 03 मार्च, 2021.

अनुलग्नक - यथोपरि।

(मीना बलिमने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री राम कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067

सचिका सं CICOM/R/P/20/00564

दिनांक. 05.01.2021

सेवा में,

श्री अशोक कुमार गोयल
निन - स्व0 श्री जुगल किशोर गोयल
गणेशपुर - रहमानपुर, चिनहट
लखनऊ - 226028.
मो0 - 8009444448.

SCANNED
RTI CELL

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय को प्रेषित आपका दिनांक 30.11.2020 का आर.टी.आई. आवेदन जिसे कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग को अग्रसारित किया गया जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 16.12.2020 को प्राप्त हुआ, से संबंधित बिन्दुवार सूचना निम्नलिखित है:-

बिंदु सं. 1 से 9	वांछित सूचना हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एवं सूचना अधिकार नियमए 2012 जो कि आयोग की वेबसाईट के लिंक क्रमश: https://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf एवं https://cic.gov.in/sites/default/files/RTI/RTIRules2012.pdf सहित इंटरनेट में आसानी से उपलब्ध है, का अवलोकन करें । इसके अतिरिक्त अन्य कोई नियम उपलब्ध नहीं है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 पर की जा सकती है ।

रा. कुमार
(राम कुमार)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष - 011-26172690

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
07 JAN 2021
D. No.........
Initials.........